

# कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ ।

## पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2019-20 से संबंधित सूचना

1. मास्टर डाटा बेस में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का पंजीकरण की तिथि 15.07.2019 से 15.08.2019 तक ।
2. राज्य/जिला स्तर पर संस्थानों का अनुमोदन की तिथि- 31.08.2019 तक ।
3. छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि- 01.09.2019 से 24.09.2019 तक ।
4. जिला स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक – 25.09.2018 से 30.09.2019 तक ।
5. छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया – 01.10.2019 तक ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा जाति के छात्र/छात्राओं को ई-कल्याण पोर्टल पर आवश्यक कागजात अपलोड करना आवश्यक है :-

1. दिनांक- 01.04.2019 से निर्गत ऑनलाईन आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होगी ।
  - (i) SC/ST माता-पिता/अभिभावकों की सभी श्रोतो से वार्षिक आय- 2.50.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो ।
  - (ii) OBC माता-पिता/अभिभावकों की सभी श्रोतो से वार्षिक आय- 1.50 लाख से अधिक नहीं हो ।
2. जाति प्रमाण-पत्र जो CO, SDO अथवा DC स्तर से ऑनलाईन के माध्य से निर्गत होगा ।
3. आवासीय प्रमाण-पत्र जो CO, SDO अथवा DC स्तर से ऑनलाईन के माध्य से निर्गत होगा ।
4. Bonafide Certificate – संस्थान द्वारा Bonafide Certificate (with Fee Structure) निर्गत सं०/दिनांक- के साथ इस वित्तीय वर्ष की (मूलप्रति एक पृष्ठ में)
5. पूर्व की परीक्षा के अंक पत्र- (Mark Sheet of Previous exam) की अभिप्रमाणित प्रति ।
6. Bank Account - छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ जिसमें Account Number एवं IFS Code उल्लेखित हो की छायाप्रति (Bank Account, Aadhar Number) से सीडिंग होना अनिवार्य है ।

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पाकुड़ ।